उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–20/2021–22

जनार्दन यादव एवं अन्य

बनाम्

रंजू देवी उर्फ रंजू कुमारी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 1/11/22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जनार्दन यादव वो ललन यादव, पे0–स्व0 निर्मल यादव, सा0–महादेव टीकर, थाना–पीरपैती वो त्रिपुरारी यादव उर्फ त्रिपुरारीनाथ सत्यार्थी, पे0–दीनानाथ यादव वो मानसिंह यादव, पे0–स्व0 प्रभुनाथ यादव, दोनों सा0–धुनियाचक वो राजीव सिंह, पे0–महेश प्र0 सिंह, सा0–पासाही चक, थाना–ईशीपुर, सभी जिला–भागलपुर(बिहार) के अपील आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–01/2015–16,(रंजू देवी वगै0 बनाम् जनार्दन यादव वगै0) के आदेश दिनांक–08.12.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–01/2015–16 के आदेश दिनांक–08.12.2020 के द्वारा मौजा पत्तिचक पिरोजपुर नं0–30, जमाबंदी सं0–33, दाग नं0–208, रकवा–00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम–1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उक्त जमीन पर दखल दिलाने के लिए आदेश दिया गया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष रंजू देवी एवं अन्य के द्वारा मौजा पत्तिचक पिरोजपुर नं0–30, जमाबंदी सं0–33, दाग नं0–208, रकवा–00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा तथा संबंधित कागजात दाखिल किया गया। इसके बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया। इसी बीच कोविड–19 के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका था।

कोविड–19 के बाद निम्न न्यायालय के द्वारा पक्षकारों को नोटिश जारी किया गया। लेकिन अपीलकर्त्ता को नोटिश तामिला किये विना अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष जाली भूदान यज्ञ पट्टा एवं जाली भूदान यज्ञ पट्टा सम्पुष्टि कागजात के आधार पर विषयगत जमीन पर दावा कर रहे है। भूदान यज्ञ पट्टा सम्पुष्टि केश नं0–182/62–63, उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा फर्जी रूप से तैयार किया गया है, जिसका भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा सम्पुष्टि नहीं की गयी है। इस संबंध में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का पंजी 41 सी0 की प्रति एवं पत्रांक–166/भू0सु0 दिनांक–25.07.2015 की प्रति भी दाखिल किया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–999/रा0 दिनांक–24.09.2018 से भेजा गया जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि भूदान पट्टा का सम्पुष्टि नहीं हुआ है। इस प्रकार उत्तरवादी प्रथम पक्ष का दावा ही सहीं नहीं है एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष विषयांकित जमाबंदी रैयत के वारिश भी नहीं है और न ही वे मौजा पत्तिचक पिरोजपुर के रैयत नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा पत्तिचक पिरोजपुर नं0–30 के जमाबंदी सं0–33 के दाग नं0–208 रकवा–00–02–00 धुर जमीन जमाबंदी रैयत रघुनंदन तिवारी वो रामजनम तिवारी के द्वारा भूदान यज्ञ समिति, देवघर को दान में दिया था और भूदान यज्ञ समिति देवघर ने उक्त जमीन पट्टा नं0–1133 दिनांक–18.08.1961 के द्वारा जीउत गौड़ पे0–मनबोध गौड़ को दिया है। उक्त भूदानी पट्टा भूदान यज्ञ अधिनियम और नियम 1954 के धारा–11,18 एवं 19 के तहत सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया गया है। पट्टा द्वारा भूमि दिये जाने के बाद से ही भूदानी रैयत उक्त जमीन पर भौतिक कब्जे में आये एवं मकान बनाकर सपरिवार निवास करने लगे। पट्टा धारी रैयत की मृत्यु हो गयी है एवं उत्तरवादी प्रथम उनका कानूनी उत्तराधिकारी है और विषयांकित भूमि उनके दखल कब्जा में लगातार चला आ रहा है। लेकिन प्रभा तिवारी के मिली भगत से अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन से उत्तरवादी प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने अनुमंडल पदाधिकारी,

महागामा के न्यायालय में आवेदन दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने भूदान पट्टा के आधार पर एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् अपीलकर्त्तागण को संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत्त विषयगत जमीन से उच्छेद किया है। अनुमंडल पदाधिकारी महागामा के पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने नियम संगत आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पत्तीचक पिरोजपुर नं0–30 जमाबंदी सं0–33 रघुनंदन तिवारी वल्द धुरा तिवारी वो रामजतन तिवारी वल्द लक्षुमण तिवारी कौम ब्राह्मण शा0 देह के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने विषयांकित जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–208 के अंदर रकवा 00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है एवं विषयगत जमीन पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष का दखल दिहानी दिलाने के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन विषयगत जमीन अपीलकर्त्तागण किस आधार पर प्राप्त किया गया है, के सम्बंध में कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सिर्फ उनका यह कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष जाली भूदान यज्ञ पट्टा के आधार पर उक्त जमीन पर दावा कर रहा है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से भी अपने दावा के समर्थन में सिर्फ भूदानी यज्ञ पट्टा की प्रति प्रस्तुत किया गया है। भूदानी पट्टा सम्पुष्टि से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही निषयगत जमीन का मालगुजारी भी प्रस्तुत नहीं किया है। चूँकि विषयगत जमीन रैयती जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा भी विषयगत जमीन पर अपना स्वत्व कायम करने सम्बंधी कागजात प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए है। इस प्रकार दोनों ही पक्ष का दावा सहीं नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश पूर्ण रूप से नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–01/2015–16 में दिनांक–08.12.2020 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं उपरोक्त अंकित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रति प्रषित (Remand) किया जाता हैं।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.04 11:37:54 +05:30
Location: 172.23.192.1